02.04.2025:—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मुल वादी पत्र डिकी हो गया। मूल वाद पत्र डिकी होने के कारण प्रार्थना—पत्र 212 आर. टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र डिकी होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. ए. मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.12. 2024 वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 17:23:14 IST
Reason: SelfAttested